छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　**प्रकरण क्रमांक–M-RECT-2024-02163**

आवेदक : श्री विवेक कुमार साहू, पिता–श्री मोहन लाल साहू, पता–डेजी–200, बी–ब्लॉक, तालपुरी, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.) विरूद्ध प्रबंधक (परियोजना) नया रायपुर विकास प्राधिकरण, पता–नार्थ ब्लॉक, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नया रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''सी.बी.डी टॉवर'' पता–नया रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
06/03/2024	– प्रकरण प्रस्तुत। – आवेदिका श्री विवेक कुमार साहू द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–39 के अधीन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँक 15.12.2023 पर पुनः विचार किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप में आवेदक का कथन है कि प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक–M-PRO-2023-01957 में आदेश दिनाँक 15.12.2023 आवेदक आंशिक बदलाव चाहता है। आवेदक द्वारा जो मांग किया गया था, उस मांग की पूर्ति अनावेदक द्वारा नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा प्राधिकरण के पारित आदेश दिनाँक 15.12.2023 में पुनः विचार कराने हेतु आवेदन पत्र धारा–39 के तहत् प्रस्तुत कर आदेश पारित करने निवेदन किया गया है। – आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा–39 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, कि प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक M-PRO-2023–01957 में दिनाँक 15.12.2023 को आदेश पारित किया गया है, जिस पर पुर्नविचार करते हुए प्राधिकरण द्वारा उक्त पारित आदेश में आंशिक परिवर्तन किया जाए अन्यथा आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रकरण में अनावेदक पक्ष से कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, आवेदक पक्ष का तर्क श्रवण किया गया। आवेदक का तर्क है कि पारित आदेश दिनाँक 15.12.2023 में जमा राशि 13,00,166/– रूपये को मय ब्याज वापिस दिलाई जाने की माँग की गई थी, जबकि भुगतान की गई राशि 11,01,398/– रूपये राशि मय ब्याज वापिस दिलाई जाने का आदेश पारित किया गया था, जिसे संशोधित किया जाए।	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –   प्रकरण क्रमांक–**M-RECT-2024-02163**

आवेदक : श्री विवेक कुमार साहू, पिता–श्री मोहन लाल साहू, पता–डेजी–200, बी–ब्लॉक, तालपुरी, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.) विरूद्ध प्रबंधक (परियोजना) नया रायपुर विकास प्राधिकरण, पता–नार्थ ब्लॉक, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नया रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''सी.बी.डी टॉवर'' पता–नया रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	प्राधिकरण द्वारा पूर्व आदेश का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं तर्क कि विशद विवेचना पारित प्रश्नाधीन आदेश में की गई है एवं युक्तियुक्त कारण भी दर्शाया गया है, आवेदक द्वारा प्रकरण के अभिलेख से ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया हो अथवा चूक हुई हो, अथवा लिपिकीय त्रुटि हुई हो, चूँकि समस्त तथ्यों का विशद विचारण कर सकारण निष्कर्ष निकाला गया है। अतः किसी प्रकार से कोई संशोधन परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः प्राधिकरण द्वारा समुचित विचारण पश्चात् आवेदक का प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा–39 निरस्त किया जाता है। प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। अभिलेख कोष्ठ दाखिल हो। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	